न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 162/2014 **दायर दिनांकः 03.11.2014**

उनवान

मृतक – बरदीलाल पि. भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/1 सांवरलाल पि.बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/2 भगवानलाल पि.बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/3 गोपाल पि.बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/4 जतनबाई पुत्री बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/5 प्रेमबाई पुत्री बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/6 सोहनबाई पुत्री बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/7 मोहनबाई पुत्री पि.बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/8 देवबाई बैवा बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. कंवरलाल आत्मज किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. प्रभूलाल आत्मज किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. रामचन्द्र आत्मज किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. प्रहलाद आत्मज किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. **मृतक** –चम्पीबाई वैवा किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तह. सुनेल
6. रतनबाई पुत्री किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
7. सीताबाई पुत्री किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

वकील वादीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन

प्रतिवादीगण – एकतरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय **दिनांक : 17 .03.2025**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि यह कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की खाता सं. 85 पुराना 182 ख.सं. 483 रकबा 01 बीघा, इसी प्रकार ग्राम सुनेल तहसील सुनेल के खाता सं. 558 पुराना 182 के ख.सं. 3541/483 रकबा 01 बीघा, इसी प्रकार ग्राम सुनेल तहसील सुनेल के खाता सं. 985 पुराना 182 के ख.सं. 3542/483 रकबा 01 बीघा, इसी प्रकार खाता स. 569 पुराना 182 के ख.सं. 543/483 रकबा 01 बीघा, इसी प्रकार ग्राम सुनेल के खाता सं. 913 पुराना 182 के ख.सं. 3544/483 रकबा 07 बिस्वा आराजी स्थित है नकल जमाबन्दी सं. 2069–2072 पेश है। यह कि वाद के पैरा नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात के पूर्व खातेदार वादी के भाई और प्रतिवादीगण 1 लगायत 4, 6, 7 के पिता तथा 5 के पति किशन भंवरलाल के नाम खाते दर्ज थीं, नकल जमाबन्दी सं. 2057–2060 व 2065–2060 पेश है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व के खातेदार किशन एवं वादी सगे भाई थे किशन आत्मज भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र पेश है। यह कि वाद के पैरा नम्बर 1 मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के ख.नं. पूर्व मे 483 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा था जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2057–2060 व 2065–2068 मे दर्ज है। यह कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार किशन आत्मज भंवरलाल गुजर ने उक्त आराजीयात की वसीयत उनके जीककाल मे वादी के नाम करा दी थी और वसीयतनामा रजिस्टर्ड दिनांक 30.10.2000 को निष्पादित कर दिया था, वसीयत नामा पेश है। यह कि वसीयतकर्ता वादी का सगा भाई था और वसीयत मे लिखा दिया था कि "मेरा भाई बरदीलाल वादी काफी वर्षो से मेरी सेवा सुश्रआ अच्छी लगन से करते चले आ रहे है भोजन, कपड़ा, बीमार होने पर चिकित्सा आदि का सभी खर्चा मेरा भाई वहन करता है और मुझे पुरी उम्मीद है कि मेरे शेष जीवनकाल में भी मेरी सेवा इसी प्रकार करता रहेगा। इन कुल खयालो के देखते हुए मैने मेरी कृषि भुमि की वसीयत की है, जहां तक मैं जिन्दा हूँ वहां तक उक्त सम्पत्ति का स्वामी मैं रहूँगा मेरे मरने के बाद ही इसका स्वामी मेरा भाई बरदीलाल होगा" यह कि खातेदार की अन्तिम वसीयत थी। वादी खातेदार वसीयतकर्ता के जीवनकाल से पिछले 40–50 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रहा है और अभी काबिज है तथा फसल पैदा करता है। यह कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 483 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा के खातेदार किशन की मृत्यु के बाद नामा.सं. 2803 दिनांक 31.12.2010 से प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा ली तथा नामा.सं. 2834 से वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा करा पैरा नम्बर 1 मे वर्णितानुतार अलग खातो मे दर्ज करवा लिया। किशन की मृत्यु के बाद फोती नामा.सं. 2803 ग्राम सुनेल ग्राम पंचायत हल्का पटवारी से मिलकर बगैर जांच व तहकीकात करवाये दूषित प्रक्रिया के द्वारा बाला बाला दिनांक 31.12.2010 को प्रतिवादीगण ने अपने नाम पर तस्दीक करवा लिया। उक्त नामा.सं. 2803 शून्य है तथा वादी के हितो पर पूरी तरह से बेअसर है। नामा.सं. 2803 तथा उसके आधार पर राजस्व रेंकार्ड में की गई समस्त प्रविष्टिया निरस्त होने योग्य है तथा वादी वसीयतनामा रजिस्टर्ड दिनांक 30.10.2000 के आधार वादग्रस्त आराजीयात की घोषणा अपने नाम करवाने व सम्बन्धित रेकार्ड में दुरुस्ती एवं अंकन करवाने का अधिकार प्राप्त है। यह कि पूर्व के खातेदार वसीयतकर्ता किशन के जीवनकाल से और उसकी मृत्यु के बाद आज तक वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादी पिछले 40–50 का से विवादग्रस्त आराजीयात पर फसले पैदा कर रहा है वादी को विवदित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और वादी उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है। यह कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने और रहन–बय–अन्तरण करने पर आमादा है तथा धमकिया दे रहे है जिसका उनको कोई अधिकार नही है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी व्यादेश पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यह कि वादी ने खाते की नकले ली तब उसे जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण ने अपने नाम करवा ली है हल्का पटवारी से अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये कहा तो उसने दावा करने की सलाह दी इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल को लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद कारण दिनांक 10.10.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया और वादी को बेदखल करने तथा आराजी रहन–बय अन्तरण करने की धमकी दी। यह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कि वाद माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य होकर क्षेत्राधिकार मे अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वाद उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाये–

(अ) ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की खाता सं. 85 ख.नं. 483 रकबा 1 बीघा, ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की आराजी खाता संख्या 558 ख.न. 3541/483 रकबा 1 बीघा, ग्राम सुनेल तहसील सुनेल के खाता सं. 985 ख.न. 3542/483 रकबा 1 बीघा, इसी प्रकार ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की खाता सं. 369 ख.न. 3543/483 रकबा 1 बीघा व ग्राम सुनेल तहसील सुनेल के खाता सं. 913 ख.न. 3544/483 रकबा 7 बिस्वा आराजीयात पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात वादी के नाम दर्ज खाता किया जाये। नामा.सं. 2803 दिनांक 31.12.2010 व नामा.सं. 2834 ग्राम सुनेल निरस्त कर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाये।

(ब) प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी व्यादेश पाबन्द किया जाये कि वे वाद के पैरा नम्बर 1 मे वर्णित आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे रहन बय अन्तरण नहीं करे ।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी के पक्ष मे हो प्रदान की जाये।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 07.09.2018 एवं दिनांक 06.08.2019 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में असल रजिस्टर्ड वसीयमनामा दिनांक 31.10.2000 प्रदर्श 1, किशनलाल का असल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 9, ग्राम सुनेल के खाता सं. 85, 558, 985, 569, 913 जमाबंदी सं. 2069 –72 प्रदर्श 2 से 6, ग्राम सुनेल का खाता सं. 100 जमाबंदी सं. 2057–60 प्रदर्श 7, खाता सं. 182 जमाबंदी सं. 2065–68 प्रदर्श 8 तथा ग्राम सुनेल के खाता सं. 119, 118 जमाबंदी सं. 2073–76 व ग्राम आकोदिया के खाता सं. 15, 14, 16 , 17 जमाबंदी [illegible]–75 की नकले पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में [illegible] पि. [illegible], राधेश्याम पि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, [illegible]

नानूराम, नानूराम पि. कन्हीराम व बरदीलाल पि. हीरालाल PW 1 To PW 4 के शपथ पत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 483 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किशनलाल पि. भंवरलाल जाति गुर्जर नि. सुनेल के खाते व कब्जे में दर्ज थी जिसकी खातेदार किशनलाल द्वारा अपने सगे भाई वादी बरदीलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 31.10.2000 की गई थी। वसीयतकर्ता खातेदार किशनलाल दिनांक 10.11.2010 को फोत हो चुके है। वसीयतकर्ता के फोत होने के बाद वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 483 रकबा 4–07 बीघा के खातेदारी हक व अधिकार वादी बरदीलाल के पक्ष में निहित हो चुके है, किसी अन्य व्यक्ति को कोई हित नहीं है। वादी बरदीलाल द्वारा ही अपने वसीयतकर्ता भाई किशनलाल की वर्षो तक सेवा, सुश्रुषा व देखभाल की थी। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी अपने पिता किशनलाल की वृद्धावस्था में देखभाल नहीं की थी। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वसीयकर्ता के समय से ही आज दिनांक तक यानि करीब 50 वर्षो से वादी/वादीगण का ही सहमति से शांतिपूर्ण व सतत कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

5. अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि वसीयतकर्ता खातेदार किशनलाल के फोत होने के बाद प्रतिवादीगण ने राजस्व कार्मिको से मिलकर षडयंत्र पूर्वक व तथ्यों की जांच पडताल किये बिना वादग्रस्त आराजी का फोती नामान्तरण सं. 2808 दिनांक 31.12.2010 अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया था जो प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध व प्रभाव शून्य होने से खारीज किये जाने योग्य है। इसके बाद चालाकी पूर्वक वादग्रस्त आराजी का कुछ समय बाद ही जल्दबाजी करते हुये विधि विरूद्ध रूप से खाता विभाजन करवाकर नामा.सं. 2834 से पृथक पृथक खाते दर्ज करवा लिये गये। खाता विभाजन के बाद मूल ख.नं. 483 रकबा 4 [illegible] बीघा का नया नं. ख.नं. 3588/483 रकबा 1–00 बीघा [illegible] लाल के खाते, नया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

ख.नं. 3543/483 रकबा 1–00 बीघा प्रतिवादी सं. 4 प्रहलाद के खाते, नया ख.नं. 3544/483 रकबा 0–07 बीघा प्रतिवादी सं. 6 रतनबाई के खाते एवं शेष बचा ख.नं. 483 रकबा 1–00 बीघा प्रतिवादी सं. 1 के खाते दर्ज हुआ। जब नामा.सं. 2808 दिनांक 31.12.2010 प्रारम्भ से विधि विरुद्ध व प्रभाव शून्य हो तो उसके आधार पर बाद में तस्दीक किया गया नामा.सं. 2834 भी स्वतः ही प्रारम्भ से शून्य व अवैध होने से खारीज होने योग्य है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा आज दिनांक तक वादी बरदीलाल के पक्ष में की गई रजिस्टर्ड वसीयत को 25 वर्षो के बाद भी किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है जिससे जाहिर है कि प्रतिवादीगण भी वसीयत से सहमत है। आगे पुनः तर्क किया गया कि नामान्तरण एक फिस्कल उद्देश्य से की जाने वाली प्रविष्टि है जिससे किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व साबित नहीं होता है। केवल जमाबंदी में गलत तरीके से नाम दर्ज होने मात्र के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि का वास्तविक स्वामित्व रजिस्टर्ड वसीयतनामा एवं मौके पर वर्षो पुराने कब्जे काश्त के आधार पर निर्धारित किया जावेगा। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध नामा.सं. 2808 एवं 2834 होने से आराजी मूल ख.नं. 483 रकबा 4–07 बीघा भूमि का वादी बरदीलाल को रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 31.10.2000 एवं बर्सो पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम सुनेल कि वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नं. 483 की जमाबन्दी संवत् 2057–60 प्रदर्श 7 एवं जबाबन्दी संवत् 2065–68 प्रदर्श 8 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा खातेदार किशन पुत्र भंवरलाल गुर्जर के खाते दर्ज रिकार्ड थी। वादी द्वारा पेश ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 31.10.2000 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता खातेदार किशन पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी सुनेल द्वारा अपने खाते की आराजी मूल खसरा नं. 483 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा स्वअर्जित संपत्ति की वसीयत अपने सगे भाई बरदीलाल पुत्र भंवरलाल गुर्जर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

को दो गवाहों राधेश्याम पुत्र नानूराम प्रजापति निवासी सुनेल एवं हीरालाल पुत्र चुन्नी लाल गुर्जर निवासी सुनेल की उपस्थिति में कि जाकर उपपजीयक सुनेल के समक्ष पंजीकृत करवाई गई थी। वादीगण द्वारा पेश एवं ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा जारी वसीयतकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 114 दिनांक 18.11.2010 प्रदर्श 9 के अनुसार किशनलाल पुत्र भंवरलाल निवासी की मृत्यु दिनांक 10.11.2010 को सुनेल मे होना जाहिर होता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 10.11.2010 के बाद से रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 31.10..2000 प्रभावी हो चुकी थी। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत की गई सम्पत्ति पर एक मात्र अधिकार वसीयत ग्रहीता का होता है बशर्ते है कि ऐसी रजिस्टर्ड वसीयत को सक्षम न्यायालय द्वारा प्रभाव शून्य घोषित नहीं किया गया हो। अतः वादग्रस्त आराजी में भी वसीयत ग्रहीता वादी बरदीलाल पुत्र भंवरलाल का हक व अधिकार मृत्यु के साथ ही निहित हो चुके थे और प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार निहित नहीं था। **प्रतिवादीगण उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतन्त्र थे लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि उक्त वसीयत को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया गया हो।** अतः रजिस्टर्ड वसीयतनामा से वादी के पक्ष में वसीयत की गई वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 483 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा का वसीयतकर्ता के वारिसान प्रतिवादीगण के पक्ष में बिना जांच पडताल के तस्दीक फौती इंतकाल संख्या 2808 दिनांक 31.12.2010 प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। फौती नामान्तरण से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कुछ समय बाद ही मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति जांचे बिना खाता विभाजन कर नामान्तरण संख्या 2834 से पृथक पृथक खाते दर्ज किए गये अतः जब नामान्तरण संख्या 2808 ही कानूनी रुप से प्रारम्भ से अवैध एवं प्रभाव शून्य है तो तदोउपरान्त किए गये सभी अन्तरण स्वतः ही अवैध व प्रभाव शून्य होगें।

7. यह सुस्थापित कानूनी तथ्य [illegible] नामान्तरण से दर्ज प्रविष्टीयां केवल फिस्कल प्रयोजनार्थ होती [illegible] वादग्रस्त संम्पत्ति के स्वामित्व निर्धारण नहीं होता है। किसी अचल सम्पत्ति के वास्तविक स्वामित्व हेतु सम्पत्ति का टाईटल व कब्जा दो[illegible] होना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराज का टाईटल व कब्जा दोनों वादिया के पक्ष में है। अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 483 रकबा 4–07 बीघा भूमि का वास्तविक मालिक व खातेदार वसीयत ग्रहीता बरदीलाल पुत्र भंवरलाल गुर्जर है। केवल जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के मात्र से किसी स्वामित्व तय नहीं किया जा सकता। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि जमाबन्दी की प्रविष्टियां केवल राजकोषीय उद्देष्य (Fiscal Purpase) एवं कृषि भूमि की लगान (लेण्ड रैवेन्यू) निर्धारण के लिए है, ना कि यह स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बलवन्तसिंह बनाम दौलतसिंह जरिये कानूनी वारिसान 1997 में दिये गये निर्णय के बाद से उक्त सम्बन्ध में कानूनी स्पष्ट है।**

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितेन्द्रसिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेष व अन्य 2021 में अभिनिर्धारित किया है कि **"6.** Right from 1997, the law is very clear. In the case of Balwant Singh vs Daulat Singh (D) by Lrs, reported in (1997) 7 SCC 137, this court had an occasion to consider the effect of mutation and it is observed and held that mutation of property in revenue records neither creates nor extinguishes title to ehe property nor has it any presumptive value on title. Such entries are relevent only for the porpuse of collecting land revenue. Similar view has been expressed in the series of decisions thereafter.

9 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूरज भान बनाम फाईनेंसियल कमिश्नर व अन्य (2007) 6 SCC 186 में अभिनिर्धारित किया है कि "It is observed and held by this Court that an entry in revenue records does not confer title on a person whose name appears in record-of-rights. Entries in the revenue records or jamabandi have only "Fiscal Pursose" i.e. payment of land revenue, and no ownership is conferred on the basis of such entries. It is further observed that so far as the title of the property is concerned, it can only be

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

decided by a competent civil court. Similar view has sbeen expressed in the case of Suman Verma v. Union of India, (2004) 12 SCC 58, Faqruddin v. Tajuddinb (2008) 8 SCC 12; Rajinder Singh v. State of J&K, (2008) 9 SCC 368; Municipal Corporation, Aurangabad v. State of Maharashtra, (2015) 16 SCC 689; T. Ravi v. V. Chinna Narasimha (2017) 7 SCC 342; Bhima Bai Mahadeo Kambekar v. Arthur Import & Export Co. (2019) 3 SCC 191; Prahlad Pradhan v. Sonu Kumhar (2019) 10 SCC 259 and Ajit Kaur v. Darshan Singh (2019) 13 SCC 70".

10 वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाहान PW 1 To PW 4 ने अपने सशपथ बयानों स्वीकार किया है कि ग्रांम सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नं0 483 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा की वसीयत खातेदार किशनलाल द्वारा अपने भाई बरदीलाल के हक में दिनांक 31.10.2000 को की थी। वादग्रस्त आराजी का खातेदार का किशन के जीवनकाल से ही बरदीलाल का और उनके बाद वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। किशनलाल कि मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने हल्का पटवारी से मिलकर कुल आराजी का नामान्तरण सं0 2803 दर्ज कराकर नामान्तरण सं. 2834 से बटवारां करा लिया। जो वादीगण के प्रति शून्य व निष्प्रभावी है। **वादीगण द्वारा पेश रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 31.10.2000 के गवाह राधेश्याम पुत्र नानूराम प्रजापति पीडब्यू 2** ने भी अपने सशपथ बयानों में उक्त वसीयत का उपपंजीयक कार्यालय सुनेल में दोनो पक्षों के मध्य पीडब्यू 2 की उपस्थिति में होना तस्दीक किया है। वसीयत पर दर्ज अपने हस्ताक्षर को भी तस्दीक किया है।

11. वादग्रस्त आराजी हाल ख.नं. 3541/483 रकबा 0.2529 है., ख.नं. 3542/483 रकबा 0.2529 है. व 3543/483 रकबा 0.2529 है. की हाल जमाबंदी सं. 2073–76 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 द्वारा बैंक आफ बडौदा शाखा सुनेल के पक्ष में रहन को नोट अंकित है जबकि ख.नं. 3544/483 रकबा 0.0885 [illegible] व [illegible] रकबा 0.2529 है. भूमि पर कोई रहन दर्ज नहीं है। ऋणदाता बैंक [illegible] ऋण स्वीकृत करने से पूर्व वादग्रस्त आराजी के कब्जे कास्त के संबंध में कानूनी रूप से जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

की जानी चाहिए थी लेकिन प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जे काश्त की जांच किये बिना ही ऋण स्वीकृत किया गया है। वादीगण द्वारा रहनकर्ता बैंक को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः न्यायहित में बैंक आफ बडौदा शाखा सुनेल के पक्ष में वादीग्रस्त आराजी पर रहन को नोट यथावत दर्ज रखा जाना उचित होगा।

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 483 रकबा 4–07 बीघा हाल ख.नं. 3541/483, 3542/483, 3543/483, 3544/483 व 483 कुल रकबा 0.8472 है. भूमि पर वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं बेदखली का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विप्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुनेल की आराजी हाल ख.नं. 3541/483 रकबा 0.2529 है. पर प्रतिवादी सं. 2 प्रभूलाल, 3542/483 रकबा 0.2529 है. पर प्रतिवादी सं. 3 रामचन्दर,, 3543/483 रकबा 0.2529 है. पर प्रतिवादी सं. 4 प्रहलाद, 3544/483 रकबा 0.0885 है. पर प्रतिवादी सं. 1 से 7 व 483 रकबा 0.2529 है. पर प्रतिवादी सं. 1 कंवरलाल के स्थान पर वादी मृतक बरदीलाल पि. भंवरलाल जाति गुर्जर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। मृतक वादी बरदीलाल के कानूनी वारीसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करें। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 162/2014 दायर दिनांक: 03.11.2014

उनवान

मृतक – बरदीलाल पि. भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/1 सांवरलाल पि.बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/2 भगवानलाल पि.बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/3 गोपाल पि.बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/4 जतनबाई पुत्री बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/5 प्रेमबाई पुत्री बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/6 सोहनबाई पुत्री बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/7 मोहनबाई पुत्री पि.बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

1/8 देवबाई बैवा बरदीलाल जाति गुर्जर निवासी सुनेल तहसील सुनेल

– **वादीगण**

बनाम

1. कंवरलाल आत्मज किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. प्रभूलाल आत्मज किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. रामचन्द्र आत्मज किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. प्रहलाद आत्मज किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. **मृतक** –चम्पीबाई वैवा किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तह. सुनेल
6. रतनबाई पुत्री किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
7. सीताबाई पुत्री किशनलाल जाति गुजर नि. सुनेल तहसील सुनेल
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

वकील वादीगण – श्री महेन्द्रसिंह गौड़

प्रतिवादीगण – एकतरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X.............. रूबरू..............X..............................

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुनेल की आराजी हाल ख.नं. 3541/483 रकबा 0.2529 है. पर प्रतिवादी सं. 2 प्रभूलाल, 3542/483 रकबा 0.2529 है. पर प्रतिवादी सं. 3 रामचन्दर,, 3543/483 रकबा 0.2529 है. पर प्रतिवादी सं. 4 प्रहलाद, 3544/483 रकबा 0.0885 है. पर प्रतिवादी सं. 1 से 7 व 483 रकबा 0.2529 है. पर प्रतिवादी सं. 1 कंवरलाल के स्थान पर वादी मृतक बरदीलाल पि. भंवरलाल जाति गुर्जर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। मृतक वादी बरदीलाल के कानूनी वारीसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करें। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

17/3/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह .. ....X..............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.03.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिष्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिष्नर	स्टाम्प अर्जी	बावत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बावत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner